तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
09/01/26	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वकील वादी ने प्रकरण नोट प्रेस किया। पत्रावली का अपलोडन किया गया। आदेशित दिनांक 03.02.21 अनुसार यह प्रकरण मा० राजस्व मण्डल राज० अजमेर के निर्णय दिनांक 08.01.2020 की पालना में सुनवाई हेतु पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया था। पत्रावली पर उपलब्ध मा० उच्च न्यायालय राज. बेंच जयपुर के प्रकरण सं. 8316/2020 उनवानी धनश्याम बनाम श्रवणलाल में पारित आदेश दिनांक 04.02.2021 द्वारा मा० राजस्व मण्डल के आदेश ~~xxxx~~ दिनांक 08.01.2020 की कार्यवाही को स्थगित किया गया था। पत्रावली पर उपलब्ध मा० उच्च न्यायालय राज. जयपुर के प्रकरण सं. 8316/2020 उनवानी धनश्याम बनाम श्रवणलाल में पारित आदेश दिनांक 03.04.2025 अनुसार मा० उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा समझौता-पत्र के मुताबिक मा० न्यायालय के प्रकरण एवं स्थगन प्रार्थना-पत्र को समाप्त किया गया था। वादी सं. 1/1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री उमेश गौड़ का पावर सेलग्न है। अधिवक्ता श्री उमेश गौड़ द्वारा प्रकरण नोट प्रेस किया गया। अधिवक्ता वादी ने वादी सं. 1/1 व 1/2 के फौत होने की सूचना दी एवं इनका कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश करने में असमर्थता व्यक्त की। चूँकि वादी सं. 2 की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रकरण नोट प्रेस किया जा चुका है एवं वादी सं. 1/1 व 1/2 का का० मु० प्रार्थना-पत्र पेश करने में असमर्थता व्यक्त की गई है। ऐसी स्थिति में वादी सं. 1/1 व 1/2 के कायम मुकाम प्रा० पत्र के अभाव में प्रकरण अबेट हो जाता है। ऐसी स्थिति में वादी सं. 1/1 व 1/2 की ओर से प्रकरण अबेट होने एवं वादी सं. 2 की ओर से प्रकरण नोट प्रेस किये जाने के कारण प्रकरण में कोई अग्रिम कार्यवाही किये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकरण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी दौसा (राज०)